

निर्वाचनों का संश्लेषण नियम, 1981

(कानूनी नियम और आदेश)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 01-सरगुजा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशन करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम श.जी.सिंह पिता/माता/पति का नाम पनिभूरसिंह उसका डाक पता ग्राम-पोड़ी

उसका नाम श.जी.सिंह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट मनगर)

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 70 में क्रम सं. 87 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम कोचन पोई है जो 01-सरगुजा-मनगर संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट 04-मनगर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. 69 में क्रम

सं. 24 पर प्रविष्ट है।

तारीख 01/11/2014

श.जी.सिंह  
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 01-सरगुजा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम श.जी.सिंह  
पिता/माता/पति का नाम पनिभूरसिंह  
उसका डाक पता ग्राम-पोड़ी  
उसका नाम श.जी.सिंह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र\* (में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 70 में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।  
हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थानकों की विशिष्टिकाओं और उनके इस्तफा

क्र. सं.	प्रस्थापक के निर्वाचक नामावली संख्याक विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्याक	जिस भाग के क्रम सं.	जिस भाग का नाम	इस्तफा	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

अंतर 22

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं. का.आ 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

मैं, भाग 1 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने SS वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[ नीचे ख (i) या ख (ii), जो लागू न हो उसे काट दें ]।

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में श्री लाल प्रसाद दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/प्रदेशीय दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।  
या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में श्री लाल प्रसाद दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में

(i) ..... (ii) ..... (iii) ..... हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/पिता/प्रति का नाम ऊपर श्री लाल प्रसाद (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए श्री लाल प्रसाद अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

\* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*\* श्री लाल प्रसाद जनजाति का सदस्य हूँ जो श्री लाल प्रसाद राज्य के उस राज्य में के श्री लाल प्रसाद क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित \*\*\* श्री लाल प्रसाद जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\* नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 01/11/2014

श्री लाल प्रसाद  
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

\*\*\* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

1। भाग- 3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये सिद्ध दोष टहराया गया है, या

हां/नहीं

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1981

(कानूनी नियम और आदेश)

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक ..... लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... लागू नहीं जिला (जिले) ..... लागू नहीं राज्य ..... लागू नहीं
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारार) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था। ..... लागू नहीं
- (iv) दोष सिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) ..... लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... लागू नहीं
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की अवधि और/ या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें।  
..... लागू नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं ✓
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ : ..... लागू नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :  
..... लागू नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है : - हो गया
- (xi) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -  
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं  
(ख) पारित आदेश ( आदेशों की प्रकृति ) ..... लागू नहीं

स्थान : सरगुजा  
तारीख : 01/4/2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग- 4

(रिटनिंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं. 03/HP/2014/RO

यह नामनिर्देशन मुझे/हैंरे कार्यालय में 1.4.2014 (तारीख) को 2:54 pm (बजे) \* अभ्यर्थी/प्रत्यापक द्वारा पारित किया गया।

तारीख 1.4.2014

रिटनिंग ऑफिसर  
रिटनिंग ऑफिसर  
01/04/2014

03 सरगुजा (अ.प्र.जा.)  
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL



Handwritten signature and date: 01/11/2014

01/11/2014  
श्री. राजेश कुमार गुप्ता  
अधीनस्थ (ज.स.प.) उत्तरांचल

01 - हरदोला अंचल (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन

क्षेत्र से लेहसना (सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र.

भाग-क

आयु 35 वर्ष, जो स्वयं चमकित सिंह \*\* पुत्र / पुत्री / पत्नी पति चमकित सिंह का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ-

- (1) मैं हरदोला स्थान पार्टी (\*\* राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी \*\* एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (\*\* जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 01 - हरदोला अंचल क्षेत्रीय इकाई के भाग संख्या 70 के क्रम सं. 87 पर प्रतिष्ठ है. (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 87-19801645 है / है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है तथा सोबाब निडिया है।
- (4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति: अकाउंट नही है।

क्रम सं.	नाम	पैन	द्वितीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं चमकित सिंह	नही	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी चमकित सिंह	लागू नही	लागू नही	शून्य
3.	आश्रित - 1 सुरेश सिंह	नही	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2 हरवर सिंह	नही	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3 पति चमकित सिंह	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं. - नही

यदि अभियुक्त किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:-  
(6) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं. - लागू नही

(क) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यारे.	लागू नही
---	----------

शपथ करता चमकित सिंह

संस्थापक निर्देशिका के संवदा कथा  
का प्रथम अंश प्रकाशित करने में उतील  
करने के लिए मैंने अपने अथने समया  
में बहुत संतुषा के साथ इस हस्ताक्षर  
/अनुदान निरवान पर राक्षस अधिकत किया है।

करमजीत सिंह

01/04/2014

चयोजीत सिंह

शमश कर्ता

पानकुरम

गोपी लाल सिंह कुरम - 6216

गोपी लाल सिंह कुरम इष्वा (जगत साहू

गोपी लाल सिंह कुरम  
पो बडहर

गोपी लाल सिंह कुरम

करमजीत सिंह

संतोष कुमार गुप्ता

गोपी लाल सिंह कुरम

नाटरी

शमश कर्ता

अभिकामपुर (सरगुजा) छत्तीसगढ

01/04/2014

पहचान फला



01/04/2014

गोपी लाल सिंह कुरम

गोपी लाल सिंह कुरम साहू

श्री. लालचंद्र प्रो. बडहरा लाल मर्मथ

विष्वा बुरखुल हारा

(ग)	संक्षिप्त विवरण (अपराधों) का आरोप (आरोपों) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [ पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भि

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे।	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:		
(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति।	लागू नहीं

संज्ञान प्रस्ताव

व्यक्तिगत रूप से

(7) में मर, नर और बापुओं को तब तक आधिकारिक मान्यता - प्रमाणित कर स्वतः प्रमाणित के ब्यारे प्रमाणित कर

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे:

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी दिक्कत दिया जाना है.

टिप्पण 2 - जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्क्रीन, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं.

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 (क) के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है.

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	15,500 रु.	रु. 25	रु. 25	रु. 25	रु. 25
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसायटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम.	इंजीनियरिंग श्रीमती बैंक केतका 7701055 4875 1000/-	रु. 25	इंजीनियरिंग श्रीमती केतका 4857 1187/-	रु. 25	रु. 25
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक विधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यारे और रकम.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय सिखतों में विनिधान और रकम.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मि. रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं

रजिस्ट्रार



(vii)	अपार्टमेंट, भूमिगत और पार्किंग मूल्य (अन्तर्गत) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों / हित का मूल्य.	TV-5000/- परक 1000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	7000/- + 15000/-	10000/-	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे: 22,000/- 1187/-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	की. 1 प्लॉट 16.50 एकड़
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.12 एकड़	नहीं	नहीं	लागू नहीं	16.50 एकड़
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	3,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40,00,000/-
(vi)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

शपथ पत्रा रामेश्वर

2022/23
शुद्ध
शुद्ध
आश्रित-3
की. 1 पनाई 16.50 रुकड
16.50 रुकड
ई
ला 100 100
ला 100 100
40,00,000/-
ला 100 100
ला 100 100
100 100
ला 100 100
ला 100 100

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान.	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	कल्या मडान	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	10 डिसेमिटर	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	5 डिसेमिटर	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	300,000/-	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100	ला 100 100

11  
11/11/22  
11/11/22

(v)	पानच (जिस कि संघान में हिस)	१२५	१२५	१२५	१२५	१२५
(vi)	पूर्वोक्त (i) में (v) का कुल बालू बाजार मूल्य	६,००,०००	६,००,०००	६,००,०००	६,००,०००	६,००,०००

(8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्याष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समझ रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वितीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	६,००,००० श्रीमती केतकी केतकी २५,०००	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	कोई अन्य दायित्व	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	दायित्वों का कुल योग	२५,०००	६,००,०००	६,००,०००	६,००,०००	६,००,०००
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	आय - कर शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	धनकर शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०
	सेवाकर शोध्य	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०	६,००,००० ०

आय कर्ता श्री १२३४५६

	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अन्य कोई शोध	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	25,000 रु.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्विलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... रुबि

(ख) पति या पत्नी ..... कृषि कार्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:- 210 हायर सेकेंडरी स्तर हरजपुर-1976  
(11वीं) प.प. अभिज्ञान संस्था कोरवा

(प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्राप्ति का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का पड़रण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कृ. धर्मजीत सिंह
2.	डाक का पूरा पता	आन - पोड़ी प.स. क्षेत्र, हरजपुर (६००१०)
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	०१ - हरजपुर, हरजपुर, ६००१०
4.	जिस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अथवा "स्वतंत्र लिखें")	बहुजन समाज पार्टी
5.	(i) ऐसे दंडित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या दो वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं.	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ ऐसे ऊपर मव (i) उल्लेखित मामलों से भिन्न ]	लागू नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है. [ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए ]	लागू नहीं

7.		किस भी प्रकार की श्रेणी का वितरण कक्षा में नहीं है				
(क) अभ्यर्थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)						
विवरण		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	22,000/-	10,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ख)	स्थावर आस्तियां	1,12,200/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत.	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निम्नलिखित की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य)	(क) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	(ख) शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	5,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सहस्र...

10.	इस दायित्व को किताबबंदी है	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध	शुद्ध
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (1) की) 210 610 से 0 4 2 2 4 4 (1) अधीनस्थित, (2) प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।					

आश्रित-3

सत्यापन

*(Handwritten signature)*

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आश्रित या दायित्व से भिन्न कोई आश्रित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 01/11/2014 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणी: शपथपत्र नामांकन फाइल के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।  
 टिप्पणी: शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।  
 टिप्पणी: 3 सही कॉपी को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो यथास्थिति "शून्य" या "जानू नहीं होता" उल्लिखित होना चाहिए।  
 टिप्पणी: शपथपत्र इंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।  
 टिप्पणी: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपेटिशन क्रमांक 121 रिसेन्स इंडिया विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 15/09/2013 के पारित आदेश के परिपालन में चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) में उम्मीदवारों की जानकारी को भरा जाना आवश्यक किया गया है। शपथ पत्र के प्रत्येक बिन्दु के समक्ष अपेक्षित जानकारी भरी जावे।  
 टिप्पणी: ऑफिसर नामांकन के समय उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले शपथ-पत्र की जांच कर सुनिश्चित करेंगे की शपथ-पत्र के प्रत्येक कॉलम के विरुद्ध प्रविष्टि की गई है। कोई कॉलम नहीं भरा गया हो तो रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे उम्मीदवारों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लिखित रूप से सूचना देकर विचारित कॉलम की जानकारी भरने का निर्देश देगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी कॉलम विशेष के विरुद्ध प्रविष्टि करने हेतु उम्मीदवार से संबंधित नहीं है तो वैसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा कॉलम के समक्ष "निरंक" "जानू नहीं" या "उपलब्ध नहीं" लिखा जावेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई कॉलम खाली नहीं रहेगा। शपथ-पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी उम्मीदवार रिक्त कॉलम में उपरोक्तानुसार जानकारी नहीं भरता तो ऐसी परिस्थितियों में उस प्रकार के नाम निर्देशन पत्र संबंधी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त करने योग्य होगा।

टिप्पणी: 8 पैरा 3 में शपथ-पत्र (Affidavit) के साथ निम्नलिखित जानकारी भी भरें।  
 "मेरा टेलीफोन नंबर (S) is/are. 9779801645  
 "मेरा ईमेल आईडी (if any) is.....  
 और मेरा सोशल मिडिया एकाउन्ट (if any) are.....